


25.07.2024:-पत्रावली प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपना वादपत्र विद्धा कर लिया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहयक कर्तव्य
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमाननगर

